न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2024

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. सतुदेवी पत्नि श्री जगदीश पुत्री स्व.श्री दुर्गाराम उम्र 61 वर्ष जाति माली निवासी बेरा बनावता चैनपुरा मण्डोर जोधपुर		1. प्रेमसिंह पुत्र स्व.श्री दुर्गाराम 2. गजेसिंह पुत्र स्व.श्री दुर्गाराम 3. भूरसिंह पुत्र स्व.श्री दुर्गाराम 4. इन्द्रसिंह पुत्र स्व.श्री दुर्गाराम 5. संतोष सिंह पुत्र स्व.श्री रणछोड़राम 6. माधोसिंह पुत्र स्व.श्री रणछोड़राम 7. ब्रहमसिंह पुत्र स्व.श्री रणछोड़राम 8. श्रीमती जुगियादेवी पत्नि स्व.श्री रणछोड़राम जातियान-माली, सभी निवासी बेरा भाखर बारा, बासनी तम्बोलिया जोधपुर 9. श्रीमती अहिल्यादेवी पत्नि स्व.श्री मनोहरसिंह पुत्री स्व.श्री रणछोड़राम, जाति माली निवासी गली नम्बर 4, कृपा भवन, नयापुरा लालसागर, मण्डोर जोधपुर 10 श्रीमती सरितादेवी पत्नि श्री मगराज पंवार पुत्री स्व.श्री रणछोड़राम जाति माली निवासी बी-22, नृसिंह विहार लालसागर मण्डोर जोधपुर 11 श्रीमती निर्मलादेवी पत्नि श्री माधोसिंह देवड़ा पुत्री स्व.श्री रणछोड़राम जाति माली निवासी आरटीओ ऑफिस के आगे, बाबा रामदेव मंदिर के पास, शिकार का बेरा, जोधपुर 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. अरूणा पत्नि श्री छंवरलाल पुत्री स्व.श्री दुर्गाराम उम्र 47 वर्ष, जाति माली निवासी नवोडा बेरा आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर		
3. सुमन पत्नि श्री मेघसिंह सोलंकी पुत्री स्व.श्री दुर्गाराम उम्र 45 वर्ष, जाति माली निवासी प्रथम पुलिया भदवासिया जोधपुर		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध बंटवाड़ा आदेश क्रमांक /दिनांक शून्य जो ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा के भूमि खसरा संख्या 211 रकबा 7.01 बीघा, खसरा संख्या 212 रकबा 6.15 बीघा, खसरा संख्या 65 रकबा 8.12 बीघा व खसरा संख्या 66 रकबा 6.16 बीघा कुल रकबा 29.05 बीघा के लिये पारित किया तथा नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा जो नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 21.02.1983 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः- 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 05 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र चौपड़ा उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट सतुदेवी पत्नि श्री जगदीश उम्र 61 वर्ष, पुत्री स्व.श्री दुर्गाराम जाति माली निवासी बेरा बनावता चैनपुरा मण्डोर जोधपुर व अन्य की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट प्रेमसिंह पुत्र स्व.श्री दुर्गाराम जाति माली निवासी बेरा भाखर बारा, बासनी तम्बोलिया जोधपुर व अन्य के विरूद्ध बंटवाड़ा आदेश क्रमांक/दिनांक शून्य जो ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा के भूमि खसरा संख्या 211 रकबा 7.01 बीघा, खसरा संख्या 212 रकबा 6.15 बीघा, खसरा संख्या 65 रकबा 8.12 बीघा, खसरा संख्या 66 रकबा 6.16 बीघा कुल रकबा 29.05 बीघा भूमि के लिये नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 21.02.1983 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा तहसील जोधपुर के भूमि खसरा संख्या 211 रकबा 7.1 बीघा, खसरा संख्या 212 रकबा 6.15 बीघा, खसरा संख्या 65 रकबा 8.12 बीघा, खसरा संख्या 66 रकबा 6.16 बीघा कुल

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned by CamScanner

रकबा 29.5 बीघा भूमि के अपीलार्थीगण के पिता स्व. श्री दुर्गाराम पुत्र स्व. श्री रावताजी तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 से 10 के पिता-व पति स्व. श्री रणछोड़राम पुत्र रावतजी की सामलाती खातेदारी के थी। अपीलार्थीगण के पिता दुर्गारामजी का देहांत दिनांक 02.08.1981 को हो गया तथा अपीलार्थीगण की माता एवं दुर्गारामजी की पत्नी रूकिया का देहांत दिनांक 28.04.2016 को हो गया। मृतक खातेदार दुर्गारामजी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:-

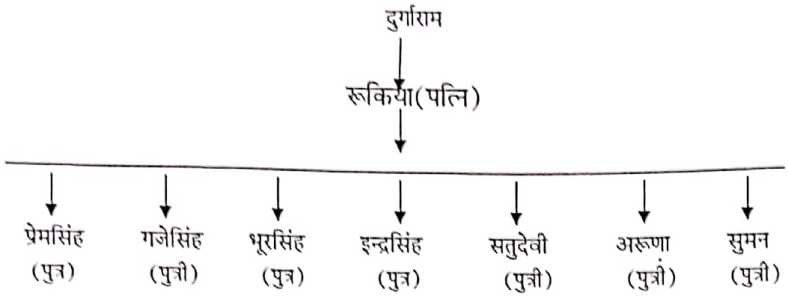

खातेदार रणछोडराम जी का देहांत दिनांक 21.05.2014 को हो गया, जिनके प्रत्यर्थी संख्या 5 से 10 के प्रथम वर्ग के उतराधिकारी है। उक्त खसरों की भूमि अपीलार्थीगण के पिता स्व. श्री दुर्गारामजी की खातेदारी की थी तथा उनके देहांत के बाद अपीलार्थीगण उनके प्रथमवर्ग की उतराधिकारी होने से भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलार्थीगण में निहित हो जाने से उनको प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के साथ भूमि के 1/2 हिस्से पर सहखातेदारी के अधिकार प्राप्त हुए है। अपीलार्थीगण दुर्गारामजी के देहांत के बाद उक्त वर्णित खसरों में अपने हिस्से की अविभाजित खातेदारी की भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 10 के साथ सामलात में काबिज चली आ रही थी लेकिन दिनांक 31.12.2021 को गांव मे सुना कि प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 भूमि खसरा संख्या 65 व 66 मे खण्डे डालकर पक्का कब्जा कर रहे है तब अपीलार्थी संख्या 01 मौके पर गयी और प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 को भूमि सामलाती होने एवं बिना बंटवाड़ा निर्माण नही करने का आग्रह करने पर प्रत्यर्थी संख्या 5 ने कहा कि उक्त खसरे के बंटवाडे का नामान्तरकरण हमने अपने नाम करवा लिया है आपका इसमे नाम नही है तथा साथ मे जबरदस्ती निर्माण करने की धमकी देने पर अपीलार्थीनी अपने भाई प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पास गई एवं भूमि के बंटवाडे के बारे मे पूछने पर उन्होने भूमि का बंटवाडा नही होने की जानकारी देने पर अपीलार्थीनी द्वारा पटवारी हल्का से भूमि की नक्शा, जमाबंदी तथा बंटवाड़ा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर उन्होने बताया कि आपके पिता के देहांत के बाद विरासत मे भूमि आपके नाम दर्ज नही हुई है तथा भूमि का सीधा बंटवाडे का नामांतकरण दर्ज किया गया है तब अपीलार्थीनी को पहली बार उसके पिता की भूमि पर उनका नाम विरासत मे दर्ज नही करने तथा सीधा भाईयो के नाम अपीलाधीन बंटवाड़ा नामांतकरण दर्ज करने की जानकारी हुई जिससे व्यथित होकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलाधीन बंटवाडा नामांतकरण स्वीकार करने से पूर्व स्व.श्री दुर्गाराम के वारिसान के बारे मे कोई जांच एवं अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना केवल दुर्गाराम के लड़को को बंटवाडे मे भूमि देने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि करने, मृतक दुर्गाराम के देहांत के बाद विरासत के नामांतरकरण में अपीलार्थीगण मृतक खातेदार की प्रथम वर्ग की उतराधिकारी एवं कानूनी अधिकारिणी होने पर भी राजस्व अधिकारियों ने मृतक खातेदार के वारिसान की जांच करके विरासत का नामांतकरण दर्ज ही नही किया तथा सीधा भूमि विभाजन का आदेश व नामांतकरण दर्ज करके केवल दुर्गाराम के लड़को के नाम अपीलाधीन नामांतकरण दर्ज करते हुए भूमि का स्व.श्री दुर्गारामजी व रणछोडरामजी की खातेदारी अलग अलग करने की गैरकानूनी कार्यवाही की जाने, मृतक खातेदार दुर्गाराम के फौत होने पर उनकी खातेदारी की भूमि मे अपीलार्थीगण को प्रथम श्रेणी की वारिस होने से स्वत: ही हक अर्जित हो जाने पर भी बंटवाडा आदेश एवं नामांतकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विरूद्ध स्वीकार किया जाने, अपीलाधीन बंटवाडा आदेश व नामांतकरण की कार्यवाही में अपीलार्थीगण मृतक खातेदार की पुत्रिया एवं प्रथम वर्ग की उतराधिकारी होने से आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उनको पक्षकार बनाये बिना एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन बंटवाडा आदेश पारित

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

किया जाने आदि आधारों पर अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रथम जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन बंटवाडा आदेश दिनांक शुन्य एवं उसके परिणाम स्वरूप दर्ज किये गये नामांतकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा दिनांक 21.02.1983, को निरस्त किये जाने तथा मृतक खातेदार दुर्गाराम की प्रथम वर्ग की उतराधिकारी अपीलार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर उनका नाम दर्ज कर बंटवाडा दिलाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए नायब तहसीलदार (द्वितीय), जोधपुर द्वारा दिनांक 21.02.1983 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा को निरस्त कर ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा तहसील जोधपुर के भूमि खसरा संख्या 211 रकबा 7.1 बीघा, खसरा संख्या 212 रकबा 6.15 बीघा, खसरा संख्या 65 रकबा 8.12 बीघा, खसरा संख्या 66 रकबा 6.16 बीघा कुल रकबा 29.5 बीघा भूमि में से मृतक खातेदार दुर्गाराम की प्रथम वर्ग की उतराधिकारी अपीलार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर अपीलार्थीगण का नाम दर्ज कर बंटवाड़ा दिलाने के आदेश हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में अपीलान्ट अधिवक्ता की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के RRT 2002 (1) Page 257, RRD 1989 Page 45 व RRT 2013(1) Page 436 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का RRT 2020(2) Page 998 को न्यायिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेंट संख्या 5 से 11 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि दुर्गाराम के वारिसान व रणछोड़राम व उसके पुत्रों को सहमति के आधार पर ही वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा होने के पश्चात् उसका नामान्तरकरण भरा गया। बंटवाड़े के समय दुर्गाराम की पुत्रियां (अपीलार्थीगण) अपने अपने ससुराल में थी एवं अपीलार्थीगण के भाईयों ने यह जाहिर किया कि बंटवाड़े में उनकी बहनों की सहमति है एवं इसी आधार पर उक्त बंटवाड़ा आदेश जो ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा के खसरा संख्या 211, 212, 65 व 66 की कुल रकबा 29.05 बीघा भूमि के संबंध में तथा नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा दिनांक 21.02.1983 जो नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर के द्वारा स्वीकार किया गया को अपीलार्थीगण द्वारा लगभग 40 वर्ष पश्चात बिना किसी ठोस कारण के चुनौती दी गयी है। इसके अलावा कुल 29.05 बीघा भूमि में से उत्तरदेहिन्दा रेस्पोडेन्ट को 12.09 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई है शेष भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को प्राप्त हुई है जो अपीलार्थीगण के सगे भाई है। अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में बंट एवं उसमें उनका हक व अधिकार है तो अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 जो उनके सगे भाई है के विरूद्ध बंटवाड़े का मुकदमा करना चाहिए था। अपीलार्थीगण द्वारा अपील में यह स्वीकार किया है कि दुर्गाराम व रणछोड़राम दोनो सगे भाई थे एवं उक्त वर्णित भूमि दोनों की सामलाती भूमि थी। दुर्गाराम के देहान्त के बाद उनके पुत्रों व रणछोड़राम व उनके पुत्रों के मध्य उक्त वर्णित भूमि का आपसी सहमति से सन् 1983 में बंटवाड़ा होने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया था एवं दोनों पक्षकारान के बंट में जो भूमि आई वे अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज हो गये जो स्थिति आज भी मौजूद है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि में से कुछ भूमि को हस्तान्तरित भी किया जा चुका है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को होते हुए भी लगभग 40 वर्षो तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही अथवा एतराज नहीं किया गया। अपीलार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि दुर्गाराम के देहान्त के बाद अपीलार्थीगण का प्रत्यर्थी संख्या 1 से 10 के साथ वादग्रस्त भूमि पर सामलाती कब्जा चला आ रहा है तथा दिनांक 31.12.2021 को उन्होने गांव में सुना कि प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 द्वारा खसरा संख्या 65 व 66 में खण्डे डाल कर पक्का कब्जा कर रहे है तब अपीलार्थी संख्या 1 मौके पर गई और प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 से मिली तथा उसने उक्त भूमि सामलाती होने एवं बिना बंटवाड़ा किये निर्माण कार्य नहीं करने का आग्रह करने पर प्रत्यर्थी संख्या 5 के द्वारा यह कहां गया कि उक्त खसरे के बंटवाड़े का नामान्तरकरण हमने अपने नाम

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

से करवा दिया है इसमें आपका नाम नहीं है इसलिए इस खसरा में हम निर्माण कार्य करवायेंगे। अपीलार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि इसके बाद अपीलार्थी संख्या 1 अपने भाई प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पास गई और उनको पूछने पर उन्होंने भूमि के बंटवाड़ा नहीं होने की बात नहीं बताई तब अपीलार्थी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से उक्त भूमि का नक्शा, जमाबंदी तथा बंटवाड़ा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर उन्होंने बताया कि आपके पिता के देहान्त के बाद विरासत में आपना नाम दर्ज नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण ने मौजूदा प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य झूठे व बेबुनियाद अंकित किये है। कुल सामलाती भूमि 29.05 बीघा में से प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 को केवल मात्र 12.09 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई है शेष भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को सन् 1983 में बंटवाड़े में प्राप्त हुई है के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अपने हक व हिस्से हेतु बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 आपस में मिले हुई है और उनकी मिलावट के कारण ही मौजूदा अपील बदनियती पूर्वक प्रस्तुत की गई है। यह सम्भव नहीं है कि 39 वर्षों तक अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़े व नामान्तरकरण की जानकारी न हुई हो। मौजूदा अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, उक्त देरी को प्रार्थना पत्र में लिखे कारणों से माफ नहीं किया जा सकता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र चौपड़ा ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त बंटवाड़ा आदेश जो ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा के खसरा संख्या 211, 212, 65 व 66 की कुल रकबा 29.05 बीघा भूमि के संबंध में तथा नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा दिनांक 21.02.1983 को नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर के द्वारा स्वीकार किया गया को अपीलार्थीगण द्वारा 40 वर्ष पश्चात चुनौती दी गयी है। उक्त सामलाती भूमि 29.05 बीघा में से प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 को केवल मात्र 12.09 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई है शेष भूमि में से अपीलार्थीगण को हक हिस्सा चाहिए तो प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को सन् 1983 में बंटवाड़े से प्राप्त हुई है के विरूद्ध मुकदमा करना चाहिए था किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा के खसरा संख्या 211, 212, 65 व 66 की कुल रकबा 29.05 बीघा भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा दिनांक 21.02.1983 जो नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर के द्वारा स्वीकार किया गया पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने व नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 21.02.1983 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता की ओर से माननीय हिमाचल उच्च न्यायालय का CCC 2020 (1) Page 438, माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय का CCC 2019 (2) Page 600, माननीय उच्चतम न्यायालय का CCC 2019(2) Page 485 व CCC 2018(3) Page 592, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का CCC 2018(3) Page 17 व CCC 2018(1) Page 302 को न्यायिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह बताया कि अपीलार्थीगण मृतक खातेदार दुर्गाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने पर भी उनके समस्त वारिसान की जांच किये बिना अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश एवं नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जबकि अपीलार्थीगण दुर्गाराम के देहान्त के बाद अपने हिस्से की भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 10 के साथ सामलाती काविज चली आ रही है। अपीलार्थीनी को पटवारी हल्का से भूमि की नक्शा, जमाबंदी तथा बंटवाड़ा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उनके पिता के देहांत के बाद विरासत मे भूमि उनके नाम दर्ज नही हुई है तथा भूमि का सीधा बंटवाडे का नामांतकरण दर्ज किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 5 से 11 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि दुर्गाराम के वारिसान व रणछोड़राम व उसके पुत्रों की सहमति के आधार पर ही

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा होने के पश्चात् उसका नामान्तरकरण भरा गया जिसमें उनको बहनों जो कि अपीलार्थीगण है की सहमति होते हुए भी अपीलाधीन आदेश को 40 वर्ष पश्चात चुनौती दी गयी है। इसके अलावा कुल 29.05 बीघा भूमि में से प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 को 12.09 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई है शेष भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को प्राप्त हुई है जो अपीलार्थीगण के सगे भाई है। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कब्जा एवं हक व अधिकार है तो अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 जो उनके सगे भाई है के विरूद्ध बंटवाड़े का मुकदमा करना चाहिए था। अपीलार्थीगण द्वारा अपील में यह स्वीकार किया है कि दुर्गाराम व रणछोड़राम दोनो सगे भाई थे एवं अपील में वर्णित उक्त भूमि दोनों की सामलाती भूमि थी। दुर्गाराम के देहान्त के बाद उनके पुत्रों व रणछोड़राम व उनके पुत्रों के मध्य अपील में वर्णित उक्त भूमि का आपसी सहमति से सन् 1983 में बंटवाड़ा होने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि में से कुछ भूमि को हस्तान्तरित भी किया जा चुका है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को होते हुए भी लगभग 40 वर्षों तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही अथवा एतराज नहीं किया गया। इसके अलावा यह सम्भव नहीं कि जो भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को सन् 1983 में बंटवाड़े में प्राप्त हुई है इसकी जानकारी 40 वर्षों तक अपीलार्थीगण को न हुई हो। मौजूदा अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, उक्त देरी को प्रार्थना पत्र में लिखे कारणों से माफ नहीं किया जा सकता।

उक्त नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया है एवं यह अपील वर्ष 2022 में यानि लगभग 40 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में न होने कि उसे 40 वर्ष तक इसकी जानकारी नहीं हुई हो कि उसके नाम का नामान्तरकरण नहीं भरा गया है। देरी को माफ करने के लिए जो कारण बताये गये है, वे उचित, न्यायसंगत, संतोषजनक व विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण ने जानबूझकर समयावधि में अपील प्रस्तुत न कर अत्यधिक देरी से यह अपील प्रस्तुत की। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील पेश करने में हुई देरी कण्डोन किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य होने से बंटवाड़ा के आधार पर खसरा संख्या 211, 212, 65 व 66 की कुल रकबा 29.05 बीघा भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 21.02.1983 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपील को मियाद बाहर मानकर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा बंटवाड़ा के आधार पर खसरा संख्या 211, 212, 65 व 66 की कुल रकबा 29.05 बीघा भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 21.02.1983 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner